संख्या-49/2018/1707/33-3-2018-10जी0आई0/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांक 28 मई, 2018**

विषय- ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना-जी.पी.डी.पी.-वर्ष 2018-19 को तैयार करते हुए उन्हें 31 मई, 2018 तक प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास की कार्ययोजना-जी.पी.डी.पी. तैयार कर भारत सरकार के साफ्टवेयर पर अपलोड की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन से जन-समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर-'**प्लान-प्लस**' पर अपलोड किया जाता है, तत्पश्चात् क्रियान्वयन सम्बन्धित साफ्टवेयर-'**एक्शन-साफ्ट**' पर प्रत्येक वर्क आई.डी. के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा '**प्रिया-साफ्ट**' साफ्टवेयर पर कार्यों का लेखा-जोखा रखा जाता है।

उक्त के सम्बंध में वर्ष 2018-19 में जी.पी.डी.पी. तैयार किये जाने में सामाजिक घटकों का समावेश करने एवं कायाकल्प योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यो का समावेश करते हुए वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना को दिनांक 31 मई, 2018 तक ऑन-लाइन अपलोड किए जाने के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा समस्त वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए मात्र निर्माण आधारित कार्यो को ही नही अपितु सामाजिक एवं मानव विकास से सम्बन्धित गतिविधियों यथा जागरूकता गोष्ठियों, सामाजिक मुद्दों पर बैठक, रैली, प्रतियोगिता एवं विशेष दिवसों का आयोजन अथवा विशेष आवश्यकता पर स्वास्थ्य शिविर, किसान मंच/ शिविर का आयोजन जैसा कि शासनादेश सं0. 2/2018/143/33-3-2018 -10/जी.आई./2015, दिनांक 16 जनवरी, 2018(छायाप्रति संलग्न) में उल्लेखित है का समावेश करते हुए वार्षिक कार्ययोजना-वर्ष 2018-19 को तैयार किया जाए।
2. कायाकल्प योजना में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा पंचायत भवन, पुस्तकालय, उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालयों/ ऑगनबाड़ी/ ए.एन.एम. सेंटर का सुदृढ़ीकरण एवं पुनरूद्धार तथा ग्राम पंचायतों की आंतरिक गलियों में खड़ंजा/इन्टरलॉकिंग/सी.सी.रोड आदि का निर्माण 1052/33-3-2018/68/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित् किया जाए।
3. बिन्दु सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं वित्तीय उपलब्धता का मिलान करते हुए वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर

Amit Sri.

ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने व प्लान–प्लस में अपलोड करने के पश्चात् ही कियान्वयन की कार्यवाही की जाए।

4. भारत सरकार के एप्लीकेशन प्लान–प्लस में दिनांक 21/5/2018 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचायतों द्वारा 5658 वार्षिक कार्ययोजना अपलोड की जा चुकी है, जिनका राज्य स्तर पर अनुश्रवण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययाजना में नो–कास्ट/ लो–कास्ट गतिविधियों अथवा कायाकल्प में उल्लिखित गतिविधियों का समावेश अपनी कार्ययोजना में नही किया गया, जबकि शासनादेश में उल्लिखित अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत की आधारभूत आवश्यकताओं एवं परिसम्पत्तियों के सुदृढ़ीकरण/रखरखाव से सम्बन्धित है। भारत सरकार ऐसी समस्त कार्ययोजनाओं की गुणवत्ता के दृष्टिगत इन्हें वापिस कर सकती हैं।
5. जी.पी.डी.पी. ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार पूरे वर्ष की एक सम्पूर्ण कार्ययोजना है, जिसमें ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यो को एक ही बार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् भी यदि आकस्मिक परिस्थितियों में किन्हीं महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्लान में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत समझती है तो उसके लिए अनुपूरक कार्ययोजना (Supplementary Plan) का प्राविधान भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। कई जनपदों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही वार्षिक कार्ययोजना के साथ अनुपूरक कार्ययोजना को भी अपलोड कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है।
6. ग्राम पंचायतों को योजना तैयार किए जाने में तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु लगातार प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्वन गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित रिसोर्स ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। जनपद एवं मंडल स्तर पर विषय–विशेषज्ञ/ तकनीकी मानव संसाधनों की उपलब्धता है, जिनके कार्यप्रदर्शन का आधार ही पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजना है।

उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजना का जनपद स्तर पर प्रतिदिन न तो अनुश्रवण किया जा रहा है एवं न ही ग्राम पंचायतों को इन आदेशों से अवगत ही कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायतों की सुसंगत वार्षिक कार्ययोजनाएं (जी.पी.डी.पी.) जो जी.पी.डी.पी. मार्गनिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मई, 2018 तक प्लान–प्लस पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी है, को तत्काल अपलोड कराने के सम्बंध में यथावश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित् करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /33–3–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग,

Amit Sri.

बेसिक शिक्षा विभाग, महानिदेशक, एस.आई.आर.डी., राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
5 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

Amit Sri.

संख्या– 49/2018/1707/33–3–2018–10जी0आई0/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांक** **मई, 2018**

विषय– ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना–जी.पी.डी.पी.–वर्ष 2018–19 को तैयार करते हुए उन्हें 31 मई, 2018 तक प्लान–प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास की कार्ययोजना–जी.पी.डी.पी. तैयार कर भारत सरकार के साफ्टवेयर पर अपलोड की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन से जन–समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर–**'प्लान–प्लस'** पर अपलोड किया जाता है, तत्पश्चात् क्रियान्वयन सम्बन्धित साफ्टवेयर–**'एक्शन–साफ्ट'** पर प्रत्येक वर्क आई.डी. के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा **'प्रिया–साफ्ट'** साफ्टवेयर पर कार्यों का लेखा–जोखा रखा जाता है।

उक्त के सम्बंध में वर्ष 2018–19 में जी.पी.डी.पी. तैयार किये जाने में सामाजिक घटकों का समावेश करने एवं कायाकल्प योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यो का समावेश करते हुए वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना को दिनांक 31 मई, 2018 तक ऑन–लाइन अपलोड किए जाने के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा समस्त वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए मात्र निर्माण आधारित कार्यो को ही नही अपितु सामाजिक एवं मानव विकास से सम्बन्धित गतिविधियों यथा जागरूकता गोष्ठियों, सामाजिक मुद्दों पर बैठक, रैली, प्रतियोगिता एवं विशेष दिवसों का आयोजन अथवा विशेष आवश्यकता पर स्वास्थ्य शिविर, किसान मंच/ शिविर का आयोजन जैसा कि शासनादेश सं0. 2/2018/143/33–3–2018 –10/जी.आई./2015, दिनांक 16 जनवरी, 2018(छायाप्रति संलग्न) में उल्लेखित है का समावेश करते हुए वार्षिक कार्ययोजना–वर्ष 2018–19 को तैयार किया जाए।
2. कायाकल्प योजना में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा पंचायत भवन, पुस्तकालय, उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालयों/ ऑगनबाड़ी/ ए.एन.एम. सेंटर का सुदृढ़ीकरण एवं पुनरूद्धार तथा ग्राम पंचायतों की आंतरिक गलियों में खड़ंजा/इन्टरलॉकिंग/सी.सी.रोड आदि का निर्माण 1052/33–3–2018/68/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित् किया जाए।
3. बिन्दु सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं वित्तीय उपलब्धता का मिलान करते हुए वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर

ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने व प्लान–प्लस में अपलोड करने के पश्चात् ही कियान्वयन की कार्यवाही की जाए।

4. भारत सरकार के एप्लीकेशन प्लान–प्लस में दिनांक 21/5/2018 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचायतों द्वारा 5658 वार्षिक कार्ययोजना अपलोड की जा चुकी है, जिनका राज्य स्तर पर अनुश्रवण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययाजना में नो–कास्ट/ लो–कास्ट गतिविधियों अथवा कायाकल्प में उल्लिखित गतिविधियों का समावेश अपनी कार्ययोजना में नही किया गया, जबकि शासनादेश में उल्लिखित अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत की आधारभूत आवश्यकताओं एवं परिसम्पत्तियों के सुदृढ़ीकरण/रखरखाव से सम्बन्धित है। भारत सरकार ऐसी समस्त कार्ययोजनाओं की गुणवत्ता के दृष्टिगत इन्हें वापिस कर सकती हैं।
5. जी.पी.डी.पी. ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार पूरे वर्ष की एक सम्पूर्ण कार्ययोजना है, जिसमें ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यो को एक ही बार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् भी यदि आकस्मिक परिस्थितियों में किन्हीं महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्लान में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत समझती है तो उसके लिए अनुपूरक कार्ययोजना (Supplementary Plan) का प्राविधान भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। कई जनपदों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही वार्षिक कार्ययोजना के साथ अनुपूरक कार्ययोजना को भी अपलोड कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है।
6. ग्राम पंचायतों को योजना तैयार किए जाने में तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु लगातार प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित रिसोर्स ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। जनपद एवं मंडल स्तर पर विषय–विशेषज्ञ/ तकनीकी मानव संसाधनों की उपलब्धता है, जिनके कार्यप्रदर्शन का आधार ही पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजना है।

उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजना का जनपद स्तर पर प्रतिदिन न तो अनुश्रवण किया जा रहा है एवं न ही ग्राम पंचायतों को इन आदेशों से अवगत ही कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायतों की सुसंगत वार्षिक कार्ययोजनाएं (जी.पी.डी.पी.) जो जी.पी.डी.पी. मार्गनिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मई, 2018 तक प्लान–प्लस पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी है, को तत्काल अपलोड कराने के सम्बंध में यथावश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित् करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /33–3–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग,

Amit Sri.

बेसिक शिक्षा विभाग, महानिदेशक, एस.आई.आर.डी., राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
5 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

Amit Sri.